न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0

बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल नं.	**तारीख दायर**	**तारीख फैसला**
60 / 2014	13 / 06 / 2014	23 / 12 / 2022

1. मोत्या पुत्र चौथू
2. धूपसिंह पुत्र छोट्या
3. अर्जुन पुत्र छोट्या
4. [illegible] पत्नी छोटया

समस्त जाति गुर्जर निवासी बिसौरी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभात पुत्र दूदाराम जाति गुर्जर निवासी बिसौरी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री बी0एल0शर्मा – अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
पैराकार सरकार – उपस्थित।

प्रार्थनापत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

– निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता के यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिसौरी पटवार हल्का बासना तहसील जमवारामगढ में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 6.22 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का संयुक्त हिस्सा 1/3 रहा है। जिसके अनुसार उक्त सम्पूर्ण भूमि में से प्रार्थीगण ने अपने संयुक्त खातेदारी अनुसार हिस्सा 2/33 भाग अनुसार भूमि का विकय अप्रार्थी संख्या 1 के हित में कर दिया एवं प्रार्थी सं0 1 का हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 9/33 एवं प्रार्थीगण सं0 2 लगायत 3 का संयुक्त हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 9/33 अनुसार रहता आया है, जिसके अनुसर ही प्रार्थीगण एव अप्रार्थी सं0 1के हक अधिकार मालिकाना व स्वामित्व की हक खातेदारी सम्पत्ति है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अप्रार्थी सं0 1 के हित में निष्पादित विकय पत्र अनुसार खसरा नम्बर 237 रकबा 6.22 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का राजस्व इन्द्राज हिस्सा 2/33 भाग अनुसार एव प्रार्थी सं0 1 एवं स्वर्गीय छोट्या का सयुक्त हिस्सा 9/33 भाग अनुसार रहता आया है, जिनमें से छोटया पुत्र चौथू का स्वर्गवास होने से प्रार्थीगण सं0 2 लगायत 3 का राजस्व इन्द्राज अंकित हुआ है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे मोत्या व छोटया पुत्र चौथू हिस्सा 9/33 एवं प्रभात पुत्र दूदाराम हिस्सा 2/33 अनुसार ही राजस्व रिकार्ड इन्द्राज करना चाहिए था, लेकिन राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारीयों ने सहवन से त्रुटिपूर्ण इन्द्राज करते हुए प्रार्थीगण एव अप्रार्थी सं0 1 के हिस्सा बटा के आगे दर हिस्सा 1/3 गलत अंकित कर दिया गया है। जबकि अपने अधिकारों अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 काबिज काश्त चले आ रहे है। हाल ही नवीन [illegible] 2065 मे वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 237 रकबा 6.22 हैक्टेयर अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व खतौनी कायम किया गया है, जिसमे प्रार्थीगण सं0 2 लगायत 4 का सयुक्त हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 9/33 दर हिस्सा 1/3 अनुसार अंकित कर रखा है तथा प्रार्थी सं0 1 का हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 9/33 दर हिस्सा 1/3 अनुसार कायम किया हुआ है एव अप्रार्थी सं0 1 का हिस्सा 2/33 दर हिस्सा 1/3 अनुसार अंकित किया हुआ है जो कि प्रार्थीगण

एवं अप्रार्थी सं0 1 का हिस्सा गलत व त्रुटिपूर्ण अंकित है, जिसको दूरूस्त कराने के प्रार्थीगण अधिकारी है। अतः ग्राम बिसौरी मे स्थित उक्त वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 के हिस्सा इन्द्राज मे त्रुटिपूर्ण अंकित दर हिस्सा 1/3 का हजफ करने के आदेश दिया जाकर प्रार्थी सं0 1 मोत्या पुत्र चौथू का हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 9/33, प्रार्थीगण सं0 2 लगातय 4 का संयुक्त हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 9/33 एव अप्रार्थी सं0 1 प्रभात पुत्र दूंदाराम का हिस्सा 2/33 अनुसार इन्द्राज करने के आदेश दिया जावें एवं तदानुसार जरिये दुरूस्तीकरण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 का हिस्सा इन्द्राज अमल दरामद के आदेश फरमावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बी0एल0शर्मा ने उपस्थित होकर दिनांक 24.11.2014 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त मुकदमे में निर्णय पारित कर प्रार्थीगण सहित मिन अप्रार्थी का राजस्व इन्द्राज हिस्सा दुरूस्त करने के आदेश फरमाया जावे। भू अभिलेख निरीक्षक भानपुर कलां की रिपोर्ट शामिल मिसल है। उक्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिसौरी में खसरा नम्बर 237 रकबा 6.22 हैक्टेयर वादीगण की शामलाती खातेदारी भूमि है। वादीगणों द्वारा जरिये विक्रय पत्र हिस्सा 2/33 अप्रार्थी सं0 1 को बैचान की थी। जो जरिये सेग्रीगेशन जमाबन्दी बनाते समय सहवन से अप्रार्थी सं0 1 का नाम छूट गया व प्रार्थीगण का हिस्सा बदल गया है। मुताबिक रिकार्ड मोत्या व छोट्या अर्थात वादीगण के नाम कुल 9/33 भूमि व शेष 2/33 हिस्सा अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज किया जाना उचित है। दर हिस्सा संबंधित के दौरान सेग्रीगेशन सही हो चुका है, दौरान सेग्रीगेशन दर हि0 1/3 तो शुद्व कर दिया लेकिन सहवन से प्रार्थीगण का हिस्सा बढा दिया गया व अप्रार्थी का नाम हजफ हो चुका है। मुताबिक रिकार्ड व दस्तावेजों के वादी सं0 1 का हिस्सा 3/22 सही दर्ज है। वादी सं0 2 से 4 का हिस्सा गलत है जो हि0 1/22 प्रत्येक का किया जाना व अप्रार्थी सं0 1 का नाम जमाबन्दी में दर्ज कर हिस्सा 2/33 का नवीन अंकन किया जाना प्रस्तावित है।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बिसौरी में स्थित उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 के हिस्सा इन्द्राज में त्रुटिपूर्ण अंकित दर हिस्सा 1/3 का हजफ करने के आदेश दिया जाकर प्रार्थी सं0 1 मोत्या पुत्र चौथू का हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 9/33, प्रार्थीगण सं0 2 लगातय 4 का संयुक्त हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 9/33 एवं अप्रार्थी सं0 1 प्रभात पुत्र दूंदाराम का हिस्सा 2/33 अनुसार इन्द्राज करने के आदेश दिया जावें एवं तदानुसार जरिये दुरूस्तीकरण प्रार्थीगण एव अप्रार्थी सं0 1 का हिस्सा इन्द्राज अमल दरामद के आदेश फरमावें तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के निस्तारण हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

अधिवक्तागणों की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बिसौरी में स्थित उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 6.22 हैक्टेयर में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 के हिस्सा इन्द्राज में त्रुटिपूर्ण अंकित दर हिस्सा 1/3 को हजफ करने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी सं0 1 मोत्या पुत्र चौथू का हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 9/33, प्रार्थीगण सं0 2 लगातय 4 का संयुक्त हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 9/33 एवं अप्रार्थी सं0 1 प्रभात पुत्र दूंदाराम का हिस्सा 2/33 अनुसार इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है एवं तदानुसार प्रार्थीगण एव अप्रार्थी सं0 1 का हिस्सा इन्द्राज अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी को दुरूस्त किया जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टाईप करवाया जाकर आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23/12/22

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ